(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड- 4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 78 **नई दिल्ली**, 29 मार्च, 2010

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एततद्वारा, पंजीकृत कार्गो प्रहस्तन स्कंध लेवी को वर्तमान प्रतिशतता आधारित लेवी से प्रतिटन आधारित लेवी में परिवर्तित करने के लिए न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव को संलग्न आदेश के अनुसार निपटाता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/41/2008-एनएमपीटी

न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास **-------** **आवेदक**

आ दे श

(मार्च 2010 के तीसरे दिन पारित)

यह प्रकरण,पंजीकृत कार्गो प्रहस्तन स्कंध (आरसीएचडब्ल्यू) से श्रमिक तैनात करने हेतु वर्तमान प्रतिशतता आधारित लेवी से वस्तु के अनुसार प्रति टन दर में परिवर्तित करने के लिए न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) द्वारा दाखिल दिनांक 24 जुलाई 2010 के प्रस्ताव से संबंधित है ।

2.1 एनएमपीटी ने निम्नलिखित प्रस्तावित किया है :-

(i) प्रति श्रमिक-दल प्रति पोत औसत से जोड़कर वस्तु-वार प्रतिटन दर प्रस्तावित की है।

(ii) औसत उत्पादकता स्तर से कम दर पर प्रहस्तन के लिए, प्रस्तावित दर के 10% से 30% की रेंज में अर्थ दंड।

(iii) लेखा-परीक्षा प्रेक्षाओं की दृष्टि से और जैसाकि आदेश सं. टीएएमपी / 77 / 2003- विविध दिनांक 16 अप्रैल 2008 के अन्तर्गत अनुमोदित हैं, रू . 1.42 करोड़ के महंगाई भत्ता बकाया की वसूली के लिए प्रस्तावित दरों पर 10% अतिरिक्त लेवी लगाई जाएगी। (यहां यह उल्लेख करना उचित है कि ऐसा कोई प्रशुल्क, जैसा एनएमपीटी द्वारा संदर्भित किया गया है, इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। प्राधिकरण ने 11 मई 2006 को अनुमोदित अपने आदेश में, एनएमपीटी के दरमान के सामान्य संशोधन को अनुमोदित करते हुए, रू .1.42 करोड़ की महंगाई भत्ता बकाया राशि की वसूली के लिए अतिरिक्त लेवी हेतु एनएमपीटी के प्रस्ताव को इस आधार पर स्वीकृत कर दिया था कि इसे पत्तन की समग्र अधिशेष स्थिति से पर्याप्त रू प से पूरा किया जा सकता है)।

2.2 प्रस्तावित दरों पर न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास के मंडल के सदस्यों के बीच कोई एक राय नहीं थी।

3.1 निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार एनएमपीटी का प्रस्ताव संबद्ध उपयोगकर्त्ताओं / उपयोगकर्त्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था।

3.2 न्यू मैंगलोर पत्तन स्टीवेडोर्स की एसोसिएशन ने निवेदन किया है कि अन्य पत्तनों की तुलना में एनएमपीटी की प्रहस्तन लागत बढ़ेगी ही और इसके परिणाम स्वरू प पत्तन से वर्तमान श्रमिक प्रहस्तित कार्गो मदें दूर चली जाएंगी। कुछ उपयोगकर्त्ता एसोसिएशनों ने उल्लेख किया है कि यद्यपि सभी प्रकार के अत्यधिक प्रोत्साहन और अदृश्य धन भुगतान किए जाते हैं, उत्पादकता, वर्तमान कार्मिक आवश्यकता स्तर के अनुरू प नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया है कि कार्मिक आवश्यकता मापदंडों को नेशनल ट्रिब्यूनल अवार्ड फॉर मेजर पोर्ट्स द्वार फाइनल किए अनुसार और पिछले तीन वर्षों में अर्जित औसत उत्पादकता को प्रतिबिम्बित करने के लिए आधार भूत स्तरों को तार्किक स्तरों पर संशोधित किया जाए और अदृश्य धनों को पड़ोसी पत्तनों में प्रचलित स्तरों तक युक्ति संगत बनाया जाए। उपयोगकर्त्ताओं ने प्रस्तावित अर्थदंड पर भी आपत्ति व्यक्त की है और ज़ोर दिया है कि एनएमपीटी अपने श्रमिकों की कार्यनिष्पादनता का आश्वासन दे।

3.3 उपयोगकत्ताओं / उपयोगकर्त्ता संगठनों से प्राप्त टिप्पणियां प्रतिपूरक सूचना के रूप में एनएमपीटी को भेजी गई थीं। एनएमपीटी ने उपयोगकर्त्ताओं / उपयोगकर्त्ता संगठनों की टिप्पणियों पर अपनी कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है।

4. प्रस्ताव की प्रारंभिक जांच-परख के आधार पर एनएमपीटी से, दिनांक 11 मई 2009 के अपने पत्र द्वारा, विभिन्न बिंदुओं पर अतिरिक्त सूचना / स्पष्टीकरण देने के लिए अनुरोध किया गया था। पत्तन ने अनुस्मारकों के बावजूद अपना उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

5.1 इस प्रकरण में 17 दिसंबर 2009 को न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास में संयुक्त सुनवाई आयोजित की गई थी।

5.2 इस प्रकरण में परामर्श से संबंधित प्रक्रिया / कार्यवाही इस प्राधिकरण के कार्यालय में रिकार्ड पर उपलब्ध है। एनएमपीटी और उपयोगकर्त्ताओं / उपयोगकर्त्ता संगठनों द्वारा संयुक्त सुनवाई में प्रस्तुत किए गए मुख्य निवेदन (पक्ष) संबद्ध पक्षों को अलग से भेजे जाएंगे। ये ब्यौरे हमारे वैबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

6. संयुक्त सुनवाई में एनएमपीटी ने, नेशनल ट्रिब्यूनल अवार्ड के अनुसार संशोधित कार्मिक आवश्कता मापदंड हाल ही में लागू हो जाने को ध्यान में रखते हुए अपना प्रस्ताव नए सिरे से तैयार करने और उसे उद्यतन करने की आवश्कता पर बल दिया। उपयोगकर्त्ता द्वार पत्तन की ओर से निष्पादनता आश्वासन के लिए किए गए अनुरोध पर विचार करने और निष्पादनता आधारित प्रशुल्क योजना लागू करने की संभावनाओं का पता लगाने के बाद, जिसके अन्तर्गत कम निष्पादनता के लिए अर्थदंड लगाया जाएगा और कार्यक्षमता बढ़ाने को प्रोत्साहित किया जाएगा।

7. एनएमपीटी ने दिनांक 15 फरवरी 2010 के अपने पत्र के द्वारा निवेदन किया कि पिछले प्रभाव अर्थात 1 जनवरी 2007 से इसके कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन की हाल की घोषणा का प्रस्तावित दरों पर प्रभाव पड़ेगा। वेतन संशोधन की पूरी कवायद पूरी हो जाने के बाद ही, पत्तन का मानना हैं कि आवश्यक डाटा का ठीक-ठीक संकलन हो पाएगा। इसलिए, पत्तन ने संशोधित अद्यतन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अप्रैल 2010 तक का समय मांगा है।

8. महापत्तन न्यासों के कर्मचारियों के लिए घोषित हाल के वेतन संशोधन के प्रभाव को समेटते हुए और उपयोगकर्त्ता / उपयोगकर्त्ता संगठनों द्वारा विशेषकर नेशनल ट्रिब्यूनल अवार्ड के अनुसार संशोधित कार्मिक आवश्कता मापदंड पर विचार करने के बारे में दिए गए सुझावों पर विचार करने के बाद पत्तन द्वारा दाखिल किए जाने वाला प्रस्ताव, मूल प्रस्ताव में पत्तन द्वार प्रस्तावित प्रशुल्क में परिवर्तन करेगा। परिणाम स्वरू प, प्रस्ताव का नए सिरे से अध्ययन / जांच पड़ताल और उपयोग कर्त्ताओं से परामर्श भी करना पड़ेगा। इसलिए इस प्रक्रिया को अनिश्चित समय तक जारी रखने से कोई लाभ नहीं होगा।

9. परिणाम स्वरू प, और ऊपर दिए गए कारणों के लिए, और समग्र विचार विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण एनएमपीटी द्वारा दाखिल किए गए दिनांक 24 जुलाई 2008 के प्रस्ताव से संबंधित प्रक्रिया को, ''प्रस्ताव वापिस लिया गया'' के रू प में बंद करता है। जब कभी पत्तन से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त होगा उसे नया समझा जाएगा। पत्तन को सलाह दी जाती है कि वह उपयोगकर्त्ताओं की प्रेक्षाओं तथा उनके सुझावों पर विचार करते हुए और इस प्रकरण परन प्रक्रिया करते समय दिए गए सुझावों पर विचार करते हुए संशोधित प्रस्ताव तैयार करे।

(रानी जाधव)

अध्यक्ष